न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 58/2021

दायर दिनांक– 03.09.2021

गोविन्दराम पुत्र जगदीश जाति कुमावत निवासी बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–आवेदक

–:: **बनाम** ::–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र डालूराम
2. जीवणराम पुत्र जगदीश
3. ख्यालीराम पुत्र जगदीश
4. रामू पुत्र जगदीश
5. कैला देवी पुत्र जगदीश
6. सुमन पुत्री जगदीश

   समस्तगण जाति कुमावत निवासीगण बारवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

–अनावेदकगण

वकील आवेदक :– श्री अमर सिंह शेखावत
वकील अनावेदक :– एक पक्षीय

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 08.03.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाडी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.5700 हैक्टर अवस्थित है, जो पीढ़ियों से चली आरही है, पैतृक भूमि है, जो आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की कब्जे काश्त की शामलाती भूमि है जो स्वर्गीय डालूराम के वारिसान होने के कारण से प्राप्त हुई है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है।

उपरोक्त आराजियात में आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें सभी का शामलाती रूप से भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा है, उपरोक्त हिस्सेनुसार ही कब्जा काश्त पीढियों से चला आ रहा है।

स्वर्गीय डालूराम के फौत होने के बाद उनके पुत्रों ने आपस में विधिवत विभाजन करवाकर अलग–अलग खाता कायम करवा लिया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.5700 हैक्टर आवेदक के पिता अनावेदक नम्बर 1 के हिस्से में आयी जिसमें आवेदक अपने हिस्से पर पक्के मकानात बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है तथा अपने पुत्र होने का दायित्व के साथ–साथ कर्तव्यों की पूर्ण पालना करते हुए निर्वहन करता चला आ रहा है अनावेदक संख्या 1 की जायज आवश्यकताओं की पूर्ति लगातार करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड अकेले अनावेदक संख्या 1 के नाम से बना हुआ होने के कारण से तथा अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 आदतन शराबी तथा जुआरी होने के कारण अपनी नाजायज आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण शामलाती कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है जो आवेदक की सहदायिक पैत्रिक सम्पति है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 आवेदक को उसके वैद्य अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से आवेदक के 1/7 हिस्सा को [illegible] सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को अजनबी क्रेता को विक्रय करने पर आमादा है, हालाकि अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान करने से आवेदक के वैद्य अधिकारो पर कोई असर नही है परन्तु आवेदक को अपने वैद्य अधिकारो की रक्षार्थ हेतु प्रार्थना पत्र घोषणार्थ का प्रस्तुत आवश्यक है।

आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 वंचित करने का कोई अधिकार नही है, परन्तु जान बूझकर आवेदक को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने के लिये अवैधानिक कार्यवाही करने पर आमादा है, दिनांक 27–8–2021 को अनावेदक संख्या 1 ने आवेदक को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड मेरे अकेले के नाम से बना हुआ है, मैं वादग्रस्त भूमि को बेचूंगा तुम कुछ नही कर सकते जिसक मैं वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

रहा हू वा लाठी के बल पर आपसे खाली करवा लेगा, मैने ऐग्रीमेंट कर रूपये प्राप्त कर लिये है, आवेदक के अधिकारों के विपरीत पैतृक सहदायिक शामलाती भूमि के संबंध में किये गये एग्रीमेंट से अधिकार प्राप्त कानूनन नही हो सकते, ना ही कानूनन प्राप्त होते है। चूंकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की अवहेलना होने के कारण से तथा अपने वैध अधिकारों यानि वादग्रस्त भूमि में 1/7, 1/7 हिस्से की खातेदारी की धोषित करवाने का अधिकारी होने के कारण प्रार्थना पत्र बाबत धोषणार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तथा वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने में सफल हो गये तो आवेदक का प्रार्थना पत्र पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा, साथ ही अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। आवेदक को किसी भी क्षण बेदखल कर सकते है अथवा बेकब्जा कर सकते है जिससे व्यर्थ की मुकदमेबाजी में फंसना होगा, साथ ही मानसिक पीड़ा भुगतनी पडेगी तथा आर्थिक नुकसान इतना अधिकार हो गा जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से सम्भव नही है। आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया ही मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति होने के कारण से अनावेदकगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर न तो स्वयं कब्जा करे, ना ही अन्य किसी से करवाये, ना ही स्वयं बेदखल करे ना ही अन्य किसी से करावे, ना ही विधिवत विभाजन करवाये किसी अजनबी को विक्रय नही करे, ना ही बिना विधिवत विभाजन के विशेष भाग पर कब्जा न तो स्वये करे ना ही अन्य किसी से करावे। आवेदक को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

आवेदक व प्राईमाफैसी मामला मजबूत है, सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। अगर आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही होगा तो आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाडी तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.5700 हैक्टर अवस्थित है, जिसमें आवेदक व अनावेदकगण का हिस्सा 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड शामलाती रूप से चला आ रहा है, अनावेदकगण न तो स्वयं किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय–पत्र अथवा इकरारनामा, नोटेरी के द्वारा स्वयं विक्रय करे, न ही अन्य किसी से ऐसा करवाये। अनावेदकगण न तो स्वयं विक्रय–पत्र तस्दीक करे न ही अपने अधीनस्थ से ऐससा करवाये। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 7 की तलबी सम्मय रूप से होने के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील आवेकद सुनी गई। आवेदक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि शामलाती की खातेदारी की भूमि है जिसमें अभी तक विधिवत विभाजन भी नही हुआ है। दावा फैसल होने तक प्रार्थना स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खसरा नम्बर 157 की खातेदार जगदीश पुत्र डालूराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 1 लगायत 6 जगदीश के जायन्दा वारिस है। वाग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी वारिसो का हक हकूक होता है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन दोनो बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है:–

1. **प्रथम दृष्टयां मामला :–** ग्राम बारवा की सरहद में जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या नया 48 पुराना 101 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1[illegible] 0.57 हैक्टर अवस्थित है, जो पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक भूमि है, जो आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की कब्जे काश्त की शामलाती भूमि है जो स्वर्गीय डालूराम [illegible] के कारण से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। उपरोक्त आराजी में आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है, जिसमें सभी का शामलाती रूप से भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा है, उपरोक्त हिस्सेनुसार ही कब्जा काश्त है। स्वर्गीय डालूराम के फौत होने के बाद उनके पुत्रों ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested

न. सी. ई. एम. (का. दे.)

आपस में विधिवत विभाजन करवाकर अलग–अलग खाता कायम करवा लिया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.5700 हैक्टर आवेदक के पिता अनावेदक नम्बर 1 के हिस्से में आयी जिसमें आवेदक अपने हिस्से पर पक्के मकानात बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है तथा अपने पुत्र होने का दायित्व के साथ–साथ कर्तव्यों की पूर्ण पालना करते हुए निर्वहन करता चला आ रहा है वर्तमान में अनावेदक नम्बर 1 जगदीश पुत्र डालूराम के नाम दर्ज खातेदार है। वर्णित भूमि पैतृक होने से जगदीश की खातेदारी में डालूराम के फौत होने से आई है। आवेदक एवं अनावेदक नम्बर 2 लगायत 6 जगदीश के वारिस है। पैतृक सम्पति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत सभी वारिसो का हिस्सा निहित रहता है। अतः आवेदक विवादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से आवेदक एव अनावेदक 1 लगायत 7 का हिस्सा 1/7 – 1/7 के संयुक्त खातेदार काश्तकार एवं आवेदक का कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है

1. **सुविधा का संतुलन** :– बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त आवेदक की होने पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।
2. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बारवा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.57 हैक्टर भूमि के राजस्व की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 03.09.2021 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested